राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2160, 2162 एवं 2163 / 2016..... जिला : जयपुर

मैसर्स प्रीमियर बार्स प्रा.लि.जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–बी, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

07.10.16

अपीलार्थी की ओर से श्री एस.एन.असावा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये तीनों मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38 (4) के पारित पृथक–पृथक स्थगन आदेश दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी,वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के लिए अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित कर निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज अधनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियॉ आरोपित की है, जिनकी वसूली के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत रोक लगाते हुए कर एवं ब्याज पर रोक लगाने से इनकार करने के कारण ये स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं :–

अं..	कर	ब्यज	शास्ति	स्थगित राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
2160 / 16	6,82,522 / –	2,16,129 / –	13,65,044 / –	13,65,044 / –	6,92,536 / –
2162 / 16	23,50,700 / –	4,16,975 / –	47,01,400 / –	47,01,400 / –	16,59,629 / –
2163!16	6,37,680 / –	94,617 / –	12,75,360 / –	12,75,360 / –	2,96,773 / –

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश पूर्णतः भ्रामक एवं अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने बिना कोई ठोस कारण अंकित किये कर एवं ब्याज राशि पर स्थगन प्रदान नहीं किया है,जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के विरूद्ध है। उक्त कथन के आधार पर उनके द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि जो उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 पर अकित है, को स्थगित करने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय द्वारा उभय पक्ष की सुनने के पश्चात पर्याप्त राशि पर स्थगन प्रदान कर दिया है अतः अब उससे अधिक राशि का स्थगन प्रदान किया जाना विधि अनुकूल नहीं है। उन्होंने उक्त कथनके आधार पर प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

07/10/16

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी,उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान विचार किया गया। बहस के दौरान यह तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 18(1)(जी) के प्रावधानों के विरूद्ध वाणिज्यिक कर वाहनों आफिस इन्क्यूपमेन्ट, कम्प्यूटर नेटवर्किंग आईटम्स,वे ब्रीज व ट्रांसफार्मर आदि की खरीद पर आगत कर का लाभ एवं कर मुक्त श्रेणी की वस्तु (Fly Ash Bricks having content of Fly Ash 25%or more) के निर्माण हेतु कर योग्य रॉ मैटीरियल पर आगत कर लाभ क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त वस्तु Fly Ash Bricks having content of Fly Ash 25%or more के निर्माण हेतु खरीदे गये रॉ मैटीरियल यथा एडमिस्चर एवं सीमेन्ट की खरीद पर आलोच्य अवधि में धारा 18(1)(जी) के प्रावधानों अनुसार देय नहीं है और व्यवहारी द्वारा इस क्रम में अपनी गलती स्वीकार कर ली गई है, का कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में किया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है, जिस पर अपीलीय अधिकारी ने स्थगन प्रदान नहीं किया है। अतः प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाते है। अपीलीय अधिकारी के निर्देश दिये जो हैं कि वह उक्त अपीलों का निस्तारण इस निर्णय की प्राप्ति तीन माह के भीतर करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

07/10/16

(राजीव चौधरी)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य